भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1980
गुरुवार, 11 दिसंबर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उत्तर-पूर्वी राज्यों के मार्गों पर विमान यात्रा का अत्यधिक किराया

1980. श्री सुधीर गुप्ताः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों से देश के अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले मार्गों पर विमान यात्रा के असामान्य रूप से अत्यधिक किराए के संबंध में कोई अनुरोध या अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का यात्रियों के लिए वहनीयता सुनिश्चित करने हेतु उक्त मार्गों पर विमान यात्रा के किराए को विनियमित या युक्तिसंगत बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का देश के प्रमुख शहरों से उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने और एयरलाइन कनेक्टिविटी में सुधार करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विमान यात्रा के किराए में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिए किसी दीर्घकालिक उपाय पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए प्रस्तावित रूपरेखा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): हवाई किराया सरकार द्वारा विनियमन के अध्यधीन नहीं है और एयरलाइनें वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 का पालन करते हुए अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर अपने हवाई किराए का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। हवाई किराए का मूल्य निर्धारण आपूर्ति और मांग की मौलिक आर्थिक शक्तियों से प्रभावित गतिशील उतार-चढ़ाव के अध्यधीन है। वर्तमान सीट अधिभोग, ईंधन लागत, विमान क्षमता, मौसमी उतार-चढ़ाव जैसे विभिन्न निर्धारक और अन्य प्रासंगिक कारक एयरलाइन टिकट मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

इम्फाल के लिए/ इम्फाल से उच्च हवाई किराए के विषय में सूचना प्राप्त होने पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इम्फाल के लिए/ इम्फाल से परिचालन कर रही अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों, अर्थात इंडिगो, एअर इंडिया एक्सप्रेस और एलाइंस एअर के साथ दिनांक 06 नवंबर, 2025 को बैठक की।

बैठक के दौरान, एयरलाइनों को यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए हवाई किराए को कम करने और किराया सूची की युक्तिसंगत बनाने की सलाह दी गई ताकि वह पारदर्शी एवं प्रयोक्ता अनुकूल बन सके। एयरलाइनों को यह भी सलाह दी गई कि वे किफ़ायती किराया बनाए रखते हुए सभी उपलब्ध सीटों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें।

(घ) से (च): उपर्युक्त बैठक के दौरान, एयरलाइनों को निर्बाध यात्रा और सुचारू यात्री आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु क्षमता बढ़ाने पर विचार करने की भी सलाह दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों में फिक्स्ड-विंग विमान और हेलीकॉप्टर परिचालन के लिए कुल 164 प्राथमिकता मार्ग अवार्ड किए गए हैं, जिनमें से 90 मार्गों पर परिचालन शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 हवाईअड्डों और 2 हेलीपोर्टों का प्रचालन शुरू किया गया है।

क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत एवं विस्तारित करने के लिए, सरकार ने अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए देश भर के 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने हेतु संशोधित 'उड़ान' योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाईअड्डों को भी सहायता प्रदान करेगी। यह योजना वर्तमान में तैयार किए जाने की प्रक्रिया में है।

*****